**RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LIMITED**
(AGOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)Corporate Identity Number (CIN) – U40102RJ2000SGC016484

**KALISINDH THERMAL POWER PROJECT. JHALAWAR (RAJASTHAN)**

# Expression of Interest (RVU1920SSOB00511)

Expression of interest is invited from interested and experienced applicants for allotment of shops for different business at KaTPP colony. Details are available on websites www.engery.rajasthan.gov.in/rvunl and http://sppp.rajasthan.gov.in. Any kind of corrigendum/extension will be published on above website only.

Addl. Chief Engineer (KaTPP)

# राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम) कारपोरेट आइडेन्डिटी नम्बर (सी.आई.एन.) – यू40102आरजे2000एसजीसी016484

कालीसिन्ध थर्मल पावर प्रोजेक्ट, झालावाड़ (राजस्थान)


## रूचि की अभिव्यक्ति (RVU1920SSOB00511)

कालीसिंध थर्मल आवासीय परिसर झालावाड के शॉपिंग सेन्टर मे स्थित दुकानो के आवंटन हेतु इच्छुक एवं अनुभवी आवेदको से विभिन्न व्यवसायों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है जिसका विस्तृत विवरण वेबसाइट www.energy.rajasthan.gov.in/rvunl एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। भविष्य में निविदाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर उपरोक्त वेबसाइटों पर ही प्रेषित किया जावेगा।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

# राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़

कारपोरेट आइडेन्टिटी नम्बर (सी.आई.एन.) – यू40102आरजे2000एसजीसी016484

रजिस्टर्ड ऑफिस व एच.ओ. : विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

## कालीसिन्ध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट

*पता : प्रशासनिक भवन, ऊर्जा परिसर, ग्राम–उण्डल, तहसील–झालरापाटन, जिला–झालावाड़ (राजस्थान) 326023*

*फोन नं. 07432–243031 (कार्यालय), ईमेल–* se.civil.katpp@rrvun.com , *वेबसाइट–* www.energy.rajasthan.gov.in/rvunl


# रूचि की अभिव्यक्ति

इच्छुक एवं अनुभवी आवेदकों से निम्नलिखित व्यवसाय हेतु कालीसिंध थर्मल कालोनी शापिंग सेन्टर स्थित दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 16.07.2019, सांय 3:00 बजे तक कार्यालय अधीक्षण अभियंता (सिविल) कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रा.रा.वि.उ.नि. झालावाड़ के कार्यालय में आमंत्रित किए जाते हे। निर्धारित आवेदन पत्र इस कार्यालय से 100/– रूपये का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट /बैंकर्स चैक जमा करके जो कि वरिष्ठ लेखाधिकारी, के.ऐ.टी.पी.पी., रा.वि.उ.नि. झालावाड़ के नाम देय हो दिनांक 15.07.2019 सायं 5:00 बजे तक, प्राप्त किया जा सकता है। उक्त आवेदन पत्र के साथ रू. 5000/– धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर्स चैक जो कि वरिष्ठ लेखाधिकारी, के.ऐ.टी.पी.पी., रा.वि.उ.नि. झालावाड़ के नाम देय हो, संलग्न करना अत्यावश्यक है, जिसे दुकान आवंटन करने के बाद प्रतिभूति राशि में समायोजित कर लिया जाएगा एवं असफल आवेदकों को चयन समिति के निर्णय के बाद उक्त धरोहर राशि लोटा दी जाएगी। धरोहर राशि एवं निर्धारित आवेदन प्रपत्र के अतिरिक्त आवेदन मान्य नही होंगे। उक्त आवेदन पत्र एवं विस्तृत विवरण http://energy.rajasthan.gov.in/rvunl एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र उक्त वेबसाइट से भी दिनांक 15.07.2019 सायं 5:00 बजे तक डाउनलोड़ किये जा सकते हैं। डाउनलोड़ किये गये आवेदन पत्र के साथ आवेदन प्रपत्र शुल्क के रूप में राशि रू. 100/– का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर्स चैक व धरोहर राशि रू0 5000/– डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर्स चैक संलग्न करना आवश्यक होगा।

| क्रम संख्या | दुकान का नाम | दुकान नम्बर | | क्रम संख्या | दुकान का नाम | दुकान नम्बर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्यूटी पार्लर / लेडीज आईटम्स | 1 | | 6 | बारबर (हेयर कटिंग) | 7 |
| 2 | मेडीकल स्टोर | 2 | | 7 | रेस्टोरेन्ट | 8 |
| 3 | जनरल स्टोर | 3 | | 8 | स्टेशनरी/गिफ्ट आईटम/साईबर कैफे /फोटोकॉपी/ई–सर्विसेज /कॉरियर | 9 |
| 4 | किराना स्टोर | 4 | | 9 | आटा चक्की | 10 |
| 5 | दुग्ध डेयरी, बेकरी कन्फेक्शनरी | 5 | | 10 | इलेक्ट्रोनिक आईटम रिपेयरिंग/मोबाईल शॉप | 12 |

अधीक्षण अभियंता (सिविल)
कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना
झालावाड़

नियम एवं शर्तेः–

1. आवेदन पत्र के साथ रू 5,000/– धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर्स चैक, जो कि वरिष्ठ लेखाधिकारी, के.ऐ.टी.पी.पी. रा.वि.उ.नि. झालावाड़ के नाम देय हो, संलग्न करना अत्यावश्यक है, जिसे दुकान आवंटन करने के बाद प्रतिभूति राशि में समायोजित कर लिया जाएगा एवं असफल आवेदकों को चयन समिति के निर्णय के बाद उक्त धरोहर राशि लोटा दी जाएगी। बिना धरोहर राशि वाले आवेदन एवं निर्धारित आवेदन प्रपत्र के अतिरिक्त अन्य प्रपत्र वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे।
2. आंवटन के पश्चात् निर्धारित व्यवसाय 30 दिवस के अन्दर शुरू नही किया गया तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और आंवटन निरस्त कर दिया जायेगा।
3. दुकान का आंवटन अधिकतम दर पद्धति पर किया जायेगा।
4. एक बार अनुबंध होने के बाद बदला नहीं जावेगा। आवंटी की मृत्यु अथवा दिवालिया घोषित होने पर आवंटन निरस्त माना जायेगा।
5. आवंटन पूर्ण अस्थाई रूप में किराया राशि पर किया जायेगा। निर्धारित किराया राशि उसी माह की 10 तारीख तक अग्रिम रूप से जमा करानी होगी। किराया राशि नकद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा वरिष्ठ लेखाधिकारी, के.ऐ.टी.पी.पी. झालावाड के नाम से कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी होगी एवं उसकी एक प्रति सहायक अभियन्ता (सिविल) के.ऐ.टी.पी.पी. झालावाड़ के कार्यालय मे प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित समय अवधि के अन्दर किराया जमा न कराने की स्थिति में 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना होगा।
6. आवंटी को विद्युत व्यय एवं यदि अन्य कोई भी प्रकार का कर हो, स्वंय वहन करना होगा।
7. 03 माह तक किराया जमा ना कराने पर दुकान सील कर दी जायेगी, सामान तथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। एक समिति का गठन कर जब्त सामान की निलामी करके दुकान का आंवटन निरस्त कर दिया जायेगा।
8. पहली बार दुकान आवंटन 11 माह के किराये पर किया जायेगा। यह अवधि समाप्त होने पर पुनः प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर आगे 11 माह के लिए नवीनीकरण 5 प्रतिशत किराया राशि में वृद्वि करते हुए किया जा सकता है, पुनः प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की स्थिति में उनकी सन्तोषप्रद सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आंवटनकर्त्ता द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों व शर्तो के आधार पर पुनः विचार कर नवीनीकरण किया जा सकेगा, परन्तु इसके लिए निगम बाध्य नहीं होगा। आंवटन अवधि समाप्ति पर आंवटनकर्त्ता द्वारा नियुक्त अधिकारी को दुकान खाली करवाने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. दुकान जिस व्यवसाय हेतु दी जायेगी केवल वही व्यवसाय किया जावेगा एवं किसी अन्य उपयोग या व्यवसाय के रुप में दुकान का उपयोग व उपभोग नही किया जा सकेगा, इसके उल्लंघन की स्थिति में आंवटन रदद् कर दिया जायेगा।
10. दुकान में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
11. दुकानों की छत, सामने का बरामदा एवं खुली जगह पर आवंटी का कोई हक नहीं होगा।
12. आवंटी को कानूनी रूप में मालिकाना कोई हक नही होगा।
13. आावंटी को दी गई दुकान अपने निवास के रूप में उपयोग नही कर सकेगा।
14. आवंटी आंवटित दुकान या उसका भाग अन्य किसी को किराये पर नही दें सकेगा ऐसा करने पर आंवटनकर्त्ता को दुकान तुरन्त प्रभाव से खाली करवाने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. आवंटी इस दुकान का प्रयोग किसी भी विधि विरूद्ध कार्य हेतु नही कर सकेगा। अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
16. आवंटी को बाजार के सामानान्तर किस्म की सामग्री समानुपाती दरों पर उपलब्ध करानी होगी जोकि निगम द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा समय–समय पर परीक्षित की जावेगी।
17. दुकानों का समय–समय पर निरिक्षण किया जायेगा एवं निरिक्षण समिति जो भी अनियमिततायें इंगित करेगी उन्हें तुरन्त प्रभाव से सुधारना होगा अन्यथा निरीक्षण समिति की सिफारिश पर उक्त आवंटी का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
18. आवंटी अपनी दुकान स्वच्छ एवं सुचारू रूप से रखने के लिऐ सभी प्रकार की सुविधायें एकत्र करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

19. आंवटित दुकान में आंवटनकर्त्ता द्वारा निर्धारित समय व कार्य दिवस के अनुसार ही आावंटी व्यवसाय करने हेतु बाध्य रहेगा।
20. आंवटी को विद्युत कनैक्शन स्वयं के नाम से एवं स्वयं के खर्चे पर लेना होगा।
21. दुकान में रखे सामान का आंवटी खुद जिम्मेदार होगा एवं इस हेतु आंवटी को बीमा करवाना आवश्यक होगा।
22. दुकान में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र व गेट पास बनवाना आवश्यक होगा।
23. दुकान में बाल श्रमिक काम मे नहीं लिया जायेगा।
24. आंवटी आवेदन पत्र के साथ संलग्न नियमों व शर्तो का पूर्ण रूप से पालन करने को बाध्य होगा।
25. आंवटी द्वारा अनुबन्ध शर्तो के उल्लंघन करने पर आंवटनकर्त्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर दुकान खाली करवायी जा सकेगी।
26. दोनों पक्षकारो के मध्य किसी प्रकार का विवाद होने पर मामला आरबीट्रेटर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। आरबीट्रेटर (मध्यस्थ) का निर्णय दोनों पक्षो को मान्य होगा।
27. विवादित प्रकरण में आरबीट्रेटर मुख्य अभियंता के.ऐ.टी.पी.पी. रा.रा.वि.उ.नि. झालावाड़ होंगे।
28. विवाद की स्थिति में कोई पक्षकार सीधे न्यायालय में नही जा सकेगा।
29. प्रतिभूति राशि आंवटनकर्त्ता के पास जमा रहेगी। आंवटन समाप्ति या आंवटन रदद् होने पर दुकान खाली करने पर ही प्रतिभूति राशि लौटायी जायेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
30. आंवटी द्वारा दुकान खाली करवाने के उपरान्त यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की बकाया राशि हेतु उक्त दुकान के पेटे आंवटनकर्त्ता के द्वारा तलब किया जाता है तो उक्त चाही गई बकाया राशि का भुगतान करने को आंवटी पाबन्द रहेगा।
31. आंवटी द्वारा दुकान खाली कर दुकान सुपुर्दगी के समय विद्युत, सिविल व अन्य सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
32. दुकान न. 7 के लिए वित्तीय सामर्थ्यता रू. 50,000/— होगी एवं अन्य व्यवसायों/दुकानों के लिए 75,000/— की वित्तीय सामर्थ्यता आवश्यक है।
33. सफल आवेदक को वरिष्ठ लेखाधिकारी के.ऐ.टी.पी.पी. कार्यालय में 5,000/— रू. का डिमांड ड्राफ्ट प्रतिभूति राशि के रूप में दुकान का कब्जा लेने से पूर्व अलग से जमा करानें होंगे।
34. आवंटी को आवंटन पत्र के जारी होने के बाद दुकान का कब्जा प्राप्त करने से पूर्व 100 रू. मूल्य के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
35. पुराने आंवटित डिफॉल्टर (दोषी) दुकानदारों को पुनः दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

अधीक्षण अभियंता (सिविल)
कालीसिन्ध तापीय विद्युत परियोजना
झालावाड़

# राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़
कारपोरेट आइडेन्टिटी नम्बर (सी.आई.एन.) – यू40102आरजे2000एसजीसी016484
रजिस्टर्ड ऑफिस व एच.ओ. : विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

## कालीसिन्ध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
*पता : प्रशासनिक भवन, ऊर्जा परिसर, ग्राम–उण्डल, तहसील–झालरापाटन, जिला–झालावाड़ (राजस्थान) 326023*
*फोन नं. 07432–243031 (कार्यालय), ईमेल–* se.civil.katpp@rrvun.com , *वेबसाइट–* www.energy.rajasthan.gov.in/rvunl


---

आवेदन पत्र शुल्क रूपये 100 का डिमाण्ड ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक नं........................ दिनांक....................
श्री/मैसर्स ....................................................................................................................
को ..................................................................................व्यवसाय हेतु जारी किया गया।

सहायक अभियंता (सिविल)

---

## <u>आवेदन पत्र</u>

1. प्रतिभूति राशि रू. 5000/– के लिए डी.डी. सं. व दिनांक
2. फर्म का नाम
3. फर्म के मालिक का नाम मय पहचान पत्र विवरण
4. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता मय मोबाईल नं.
5. दुकानदार/फर्म वर्तमान व्यवसाय (यदि है तो)
6. दुकानदार/फर्म जो व्यवसाय करना चाहता है
7. क्रमांक 5 में लिखे व्यवसाय का अनुभव (यदि है तो)
8. दुकान पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम मय पहचान पत्र विवरण
9. दुकान में कितनी पूंजी लगाना चाहते है ?
10. किन्ही दो विशिष्ट व्यक्तियों की गारन्टी दस हजार प्रत्येक (उपयुक्त बॉण्ड पर)
11. क्या झालावाड़ / झालरापाटन में कोई अपना व्यवसाय है ? (यदि हाँ तो विवरण दें।)
12. वित्तीय सामर्थ्यता के प्रमाण पत्र
13. दुकान किराया राशि प्रति माह (विद्युत चार्जेज व जी.एस.टी. अतिरिक्त)

मैंने उक्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी नियम एवं उपनियम पढ़ लिए हैं और स्वीकार भी करता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक